2016 का विधेयक संख्यांक 9

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2016

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 3 का संशोधन।
3. धारा 4 का संशोधन।
4. धारा 5 का संशोधन।
5. धारा 7 का संशोधन।

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2016 है।

धारा 3 का संशोधन।

2. मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

"(1) प्रत्येक मन्त्री निम्नलिखित दरों पर वेतन लेने का हकदार होगा, अर्थात्:–

(क) मुख्य मन्त्री	**पचानवे हज़ार रूपए** प्रतिमास;
(ख) केबिनेट मन्त्री	**अस्सी हज़ार रूपए** प्रतिमास;
(ग) राज्य मन्त्री	**अटहत्तर हज़ार रूपए** प्रतिमास; और
(घ) उप मन्त्री	**पचहत्तर हज़ार रूपए** प्रतिमास।" ।

धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, "**तीस हज़ार**" शब्दों के स्थान पर "**पचानवे हज़ार**" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 5 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) में, "**दस प्रतिशत की दर से**" शब्दों के स्थान पर "**एक हज़ार पांच सौ रुपए**" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 7 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 में,–

(क) उपधारा (1) में, "**दो लाख**" शब्दों के स्थान पर "**दो लाख पचास हज़ार**" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में, "**दो लाख**" शब्दों के स्थान पर "**दो लाख पचास हज़ार**" शब्द रखे जाएंगे; और

(ग) उपधारा (2) में, "**दस हज़ार**" शब्दों के स्थान पर "**पच्चीस हज़ार**" शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा की सदस्य सुख–सुविधा समिति ने सदस्यों के भत्तों और अन्य परिलब्धियों में बढ़ौतरी करने की सिफारिश की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अतः सदस्यों और मन्त्रियों के बीच एकरूपता बनाए रखने के लिए और मन्त्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के उपबन्धों को हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अनुरूप लाने के लिए भी मुख्य मन्त्री, केबिनट मन्त्री, राज्य मन्त्री और उप–मन्त्री के वेतन को क्रमशः 65,000/– रुपए, 50,000/– रुपए, 48,000/– रुपए और 45,000/– रुपए से बढ़ाकर 95,000/– रुपए, 80,000/– रुपए, 78,000/–रुपए और 75,000/– रुपए प्रतिमास करने का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त सत्कार भत्ते को 30,000/– रुपए से बढ़ाकर 95,000/– रुपए प्रतिमास करने का भी विनिश्चय किया गया है और लाइसैन्स फीस की कटौती उसके वेतन के दस प्रतिशत की दर के बजाए एक हज़ार पांच सौ रूपए प्रतिमास की दर से करने का भी विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त, मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा के कारण उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए विद्यमान सीमा को 2,00,000/–रुपए से बढ़ाकर 2,50,000/– रुपए करने तथा यात्रा अग्रिम को 10,000/– रुपए से बढ़ाकर 25,000/– रुपए करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री ।

शिमला:

तारीख 2016

वित्तीय ज्ञापन

विधयेक के खण्ड 2 से 5 के अधिनियमित होने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 1.50 करोड़ रूपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

---शून्य--

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(जी.ए.डी. नस्ति संख्या नं0 जी0ए0डी0–सी (डी) 5–4 / 2016

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2016 की विषय–वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को राज्य विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2016

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री ।

(डॉ0 बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमलाः

तारीखः ....., 2016

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं:

3. **वेतन और भत्ते.**– (1) प्रत्येक मन्त्री निम्नलिखित दरों पर वेतन लेने का हकदार होगा, अर्थात्:––

(क) मुख्य मन्त्री	पैंसठ हजार रुपए प्रतिमास;
(ख) कैबिनेट मन्त्री	पचास हजार रुपए प्रतिमास;
(ग) राज्य मन्त्री	अड़तालीस हजार रुपए प्रतिमास; और
(घ) उप–मन्त्री	पैंतालीस हजार रुपए प्रतिमास ।

(2) प्रत्येक मन्त्री प्रतिमास पांच हज़ार रूपए की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक मन्त्री अपनी सम्पूर्ण अवधि के दौरान, प्रत्येक दिन के लिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ii) मे यथा विनिर्दिष्ट दर पर भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।

4. **सत्कार भत्ता.**– प्रत्येक मन्त्री तीस हज़ार रुपए प्रतिमास की दर से सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

5. **निवास स्थान.**–– (1) प्रत्येक मन्त्री को, एक सुसज्जित गृह दिया जाएगा, जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा या ऐसे गृह के स्थान पर, निम्नलिखित दरों पर भत्ता संदत्त किया जाएगा, अर्थात्:––

(क) मन्त्री जो मन्त्रीमण्डल का सदस्य है	तीन हज़ार पांच सौ रुपए प्रतिमास;

(ख) राज्य मन्त्री — तीन हजार रुपए प्रतिमास; और

(ग) उप–मन्त्री — दो हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास

(2) राज्य सरकार, मन्त्री को दिए गए गृह को उसे, मन्त्री न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए, अधिभोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी।

(3) प्रत्येक मंत्री, उसे आबंटित सुसज्जित गृह के बारे में, उसके वेतन से दस प्रतिशत की दर से लाईसेंस फीस संदत्त करने का दायी होगा और वह उसके वेतन से प्रतिमास वसूलीय होगी।

स्पष्टीकरण.— मन्त्री ऐसे किसी मामले में जहां उसको आवास के लिए आबंटित गृह का मानक किराया उप–धारा(1) में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक हो, किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा।

7. **रेल द्वारा या वायु मार्ग द्वारा निःशुल्क यात्रा.**– (1) प्रत्येक मंत्री अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा देश के भीतर या बाहर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो लाख रुपए के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर होगा :

परन्तु वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए पद 'कुटुम्ब' से पति–पत्नी, उनके अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री सहित अविवाहित पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत होगा।

(2) प्रत्येक मंत्री, उसके अनुरोध पर, ऐसी यात्रा करने के लिए दस हजार रुपए से अनधिक अग्रिम का हकदार होगा तथा ऐसा संदत्त अग्रिम, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समायोजित किया जाएगा, ऐसा न होने पर पूर्ण अग्रिम, उसके वेतन और भत्ते से एकमुश्त राशि में वसूल किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.– इस धारा के अधीन कुल रकम का अवधारण करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 की धारा 10–क या हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के वेतन और भत्ता) अधिनियम, 1971 की धारा 6 के अधीन, उसी वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा की गई यात्रा में इस प्रकार उपगत रकम को हिसाब में लिया जाएगा ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 9 OF 2016

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2016

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 3.
3. Amendment of section 4.
4. Amendment of section 5.
5. Amendment of section 7.

Bill No. 9 of 2016

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (Act No. 11 of 2000).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty – seventh Year of the Republic of India as follow:—

1. This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2016. Short title.

2. In section 3 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (herein after referred to as the "principal Act"), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:— Amendment of section 3.

"(1) Each Minister shall be entitled to receive a salary at the following rates, namely:—

(a)	Chief Minister	**Ninety five thousand** rupees per mensem;
(b)	Cabinet Minister	**Eighty thousand** rupees per mensem;
(c)	Minister of State	**Seventy eight thousand** rupees per mensem; and
(d)	Deputy Minister	**Seventy five thousand** rupees per mensem.".

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act, for the words "**thirty thousand**", the words **"ninety five thousand"** shall be substituted.

Amendment of section 5.

4. In section 5 of the principal Act, in sub-section (3), for the word, figures and signs "**@ 10%**", the words **"one thousand five hundred"** shall be substituted.

Amendment of section 7.

5. In section 7 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words, "**two lac rupees**", the words **"two lac fifty thousand rupees"** shall be substituted.;

(b) in the first proviso to sub-section (1), for the words, "**two lac rupees**, the words, "**two lac fifty thousand rupees**" shall be substituted.; and

(c) in sub-section (2), for the words **"ten thousand"**, the words **"twenty five thousand"** shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Members Amenities Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha has recommended to enhance allowances and other perquisites to the Members which has been accepted. Thus, in order to maintain the parity amongst the Members and the Ministers and also to bring the provisions of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 in conformity with the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, it has been decided to enhance salary of Chief Minister, Cabinet Minister, Minister of State and Deputy Minister from Rs. 65,000/-, 50,000/-, 48,000/- and 45,000/- to Rs, 95,000/-, 80,000/-, 78,000/- and 75,000/- respectively. It has also been decided to enhance sumptuary allowance from Rs. 30,000/- to Rs. 95,000/- per mensem and it has also been decided to deduct license fee @ Rs. 1500/- per mensem instead of @ 10% of his salary. Further, it has been decided to enhance existing limit for reimbursement of expenses incurred on account of free transit facility from Rs. 2,00,000/- to Rs. 2,50,000/- and travelling advance from Rs. 10,000/- to Rs. 25,000/-. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.

SHIMLA:
THE _____ 2016.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 to 5 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 1.50 crore per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(GAD File No. GAD-C (D) 5-4/2016)

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Bill, 2016, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) ACT, 2000 (ACT NO. OF 2000) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Sections :

3. Salaries and allowances.— (1) Each Minister shall be entitled to receive a salary at the following rates, namely:—

(a) Chief Minister	Sixty five thousand rupees per mensem;
(b) Cabinet Minister	Fifty thousand rupees per mensem;
(c) Minister of State	Forty eight thousand rupees per mensem; and
(d) Deputy Minister	Forty five thousand rupees per mensem.

(2) Each Minister shall be entitled to receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem.

(3) Each Minister shall be entitled to receive an allowance for each day during the whole of his term at the same rate as specified in clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

4. Sumptuary Allowance.—Each Minister shall be entitled to receive sumptuary allowance at the rate of rupees thirty thousand per mensem.

5. Residence.— (1) Each Minister shall be provided with a furnished house, the maintenance charges of which shall be borne by the State Government or in lieu of such house, shall be paid an allowance at the following rates, namely:—

(a)	a Minister who is a member of Cabinet	Rupees three thousand and five hundred per mensem;
(b)	Minister of State	Rupees three thousand per mensem; and
(c)	Deputy Minister	Rupees two thousand and five hundred per mensem.

(2) The State Government may allow a Minister to continue in occupation of the house provided to him for a period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be a Minister.

(3) Each Minister shall be liable to pay licence fee @ 10% of his salary in respect of the furnished house allotted to him and the same shall be recoverable monthly from his salary.

Explanation.— The Minister shall not become personally liable for any payment in case the standard rent of the house allotted to him for residence exceeds the amount specified in sub-section(1).

7. **Free transit by railway or by air.**—(1) Each Minister during the term of their officer shall be entitled to travel at any time by railway or by air by any class within or outside the country alongwith his family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets of such journey performed, subject to maximum of **two lac** rupees in each financial year:

Provided that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air in a financial year shall not exceed **two lac**.

Explanation.— For the purpose of this sub-section, the expression "family" shall mean the spouse their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.

(2) Each Minister shall be entitled for an advance not exceeding rupees **ten thousand** on his request to undertake such journey and the advance so paid shall be adjusted before the closing of financial year, failing which the entire advance shall be recovered from his salary and allowances in lump-sum.

Explanation.—For determining the aggregate amount under this section, the amount so incurred in the same financial on journey by railway or air under section 10-A of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 or under section 6 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 shall be taken into account.

राजकीय मुद्रणालय, हि0प्र0, शिमला–41–जुड/2016–06–04–2016–250.